आदेश–पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)
केस का प्रकार–

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
13.06.2017	***आदेश*** दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम से जय प्रकाश यादव पे0 स्व0 शिवनन्दन प्रसाद यादव, ग्राम–सैदपुर, थाना+प्रखंड मानसी, जिला खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील वाद सं0 $\frac{34}{23}/\frac{13-14}{2010}$ जय प्रकाश यादव पे0 स्व0शिवनन्दन प्रसाद यादव ग्राम -सैदपुर,थाना+प्रखंड–मानसी ने अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 24 दिनांक 16.01.2010 से विक्षुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि ग्रामीण अमीत यादव एवं संतोष यादव पे0 स्व0 बिजेन्द्र यादव राजनीतिक व्यक्ति है और उनके द्वारा अवैध तरीके से अनुज्ञप्तिधारी से 10 लीटर किरासन तेल की मांग की गयी और नहीं देने पर आपूर्ति निरीक्षक से शिकायत की गयी और आूपर्ति निरीक्षक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के बिना दूकान की जॉच किये गलत तरीके से अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को रिपोर्ट समर्पित किया गया। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति निरीक्षक को कारण पृच्छा समर्पित किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा इस मामले में बिना जॉच किये आदेश ज्ञापांक 24 दिनांक 16.01.2010 द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 250M/2007 को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए अपील को स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर अनमण्डल पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा ज्ञापांक 24 दिनांक 16.01.2010 द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या 250M/2007 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है। डी0वी0नं0 80 दिनांक 30.08.201.4 से अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अन्य कागजात संलग्न नहीं है। अपीलार्थी द्वारा भी अपने अपील आवेदन के साथ अपील आवेदन के अलावे अन्य कोई कागजात संलग्न नहीं किया	

अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। उनकी ओर से अपने कथन के समर्थन में अपील आवेदन के अलावे और कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा इस वाद में उन्हें अपने कथन के समर्थन मे कोई कागजात एवं तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

अतः उपरोक्त के आलोक में बिना साक्ष्य एवं तथ्य के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 16.01.2010 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।